

‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (पीएम-आशा)

चर्चा में क्यों?

सरकार की किसान अनुकूल पहलों को बढ़ावा देने के साथ-साथ अन्नदाता के प्रति अपनी जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई समग्र योजना ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (Pradhan Mantri Annadata Aay Sanraksha Abhiyan- PM-AASHA) को मंजूरी दे दी है। यह किसानों की आय के संरक्षण की दशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक असाधारण कदम है जिससे किसानों के कल्याण हेतु किये जाने वाले कार्यों में अत्यधिक सफलता मिलने की आशा है।

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिये उचित मूल्य दिलाना है, जिसकी घोषणा वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में की गई है।

पीएम- आशा के प्रमुख घटक

- नई समग्र योजना में किसानों के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करने की व्यवस्था शामिल है और इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं
 - ◆ मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme-PSS)
 - ◆ मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme- PDPS)
 - ◆ नज्दी खरीद एवं स्टॉकसिट योजना (Private Procurement & Stockist Scheme- PPSS)

मूल्य समर्थन योजना :

- इसके तहत दालों, तिलहन और गरी (Copra) की भौतिक खरीदारी राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी।
- यह भी नरिण्य लिया गया है कि नैफेड के अलावा भारतीय खाद्य निगम (FCI) भी राज्यों/ज़िलों में PSS परचालन की ज़िम्मेदारी संभालेगा।
- खरीद पर होने वाले व्यय और खरीद के दौरान होने वाले नुकसान को केंद्र सरकार मानकों के मुताबिक वहन करेगी।

मूल्य न्यूनता भुगतान योजना

- इसके तहत उन सभी तिलहनी फसलों को कवर करने का प्रस्ताव किया गया है जिसके लिये MSP को अधिसूचित कर दिया जाता है।
- इसके तहत MSP और बिक्री/औसत मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान पहले से ही पंजीकृत उन किसानों को किया जाएगा जो एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के ज़रिये अधिसूचित बाज़ार में अपनी उपज की बिक्री करेंगे।
- समस्त भुगतान सीधे किसान के पंजीकृत बैंक खाते में किया जाएगा।
- इस योजना के तहत फसलों की कोई भी भौतिक खरीदारी नहीं की जाती है क्योंकि अधिसूचित बाज़ार में बिक्री करने पर MSP और बिक्री/औसत मूल्य में अंतर का भुगतान किसानों को कर दिया जाता है।
- PDPS के लिये केंद्र सरकार द्वारा सहायता, तय मानकों के अनुसार दी जायेगी।

नज्दी खरीद एवं स्टॉकसिट योजना

- तिलहन के मामले में यह नरिण्य लिया गया है कि राज्यों के पास यह विकल्प रहेगा कि वे चुनदा ज़िला/ज़िलों की APMC (Agriculture Produce Market Committee) में प्रायोगिक आधार पर नज्दी खरीद एवं स्टॉकसिट योजना (PPSS) शुरू कर सकते हैं जिसमें नज्दी स्टॉकसिटों की भागीदारी होगी।
- प्रायोगिक आधार पर चयनित ज़िला/ज़िलों की चयनित APMC तिलहन की ऐसी एक अथवा उससे अधिक फसलों को कवर करेगी जिसके लिये MSP को अधिसूचित किया जा चुका है।
- चूँकि यह योजना अधिसूचित ज़िलों की भौतिक खरीदारी की दृष्टि से PSS से काफी मिलती-जुलती है, इसलिये यह प्रायोगिक आधार पर चयनित ज़िलों में PSS/PDPS को प्रतिस्थापित करेगी।
- जब भी बाज़ार में कीमतें अधिसूचित MSP से नीचे आ जाएंगी तो चयनित नज्दी एजेंसी PPSS से जुड़े दशा-नरिदेशों को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत

किसानों से अधिसूचित अवधि के दौरान अधिसूचित बाजारों में MSP पर जसि की खरीदारी करेगी।

- यह व्यवस्था तब अमल में लाई जाएगी जब नजि चयनित एजेंसी को बाजार में उतरने के लिये राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकार द्वारा अधिकृत किया जाएगा और अधिसूचित MSP के 15 प्रतिशत तक अधिकतम सेवा शुल्क देय होगा।

व्यय :

- कैबिनेट ने 16,550 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सरकारी गारंटी देने का फैसला किया है जिससे यह गारंटी बढ़कर 45,550 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुँच गई है।
- इसके अलावा, खरीद पर्यायन के लिये बजट प्रावधान भी बढ़ा दिया गया है और पीएम-आशा के क्रयान्वयन के लिये 15,053 करोड़ रुपए मंजूर किये गए हैं।

किसानों के हित में कैबिनेट द्वारा लिये गए अन्य फैसले

न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि:

- सरकार उत्पादन लागत का डेढ़ गुना तय करने के सिद्धांत पर चलते हुए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSP) में पहले ही वृद्धि कर चुकी है।
- MSP में वृद्धि के कारण राज्य सरकारों के सहयोग से खरीद व्यवस्था को काफी बढ़ावा मिला जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी।

DFPD के साथ-साथ कपड़ा मंत्रालय की वर्तमान योजनाओं को जारी रखने का फैसला :

- धान, गेहूँ एवं पोषक अनाजों/मोटे अनाजों की खरीद के लिये खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food and Public Distribution- DFPD) की अन्य मौजूदा योजनाओं के साथ-साथ कपास एवं जूट की खरीद के लिये कपड़ा मंत्रालय की अन्य वर्तमान योजनाएँ भी जारी रहेंगी, ताक किसानों के लिये इन फसलों की MSP सुनिश्चित की जा सके।

खरीद हेतु नजि क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने का फैसला:

- कैबिनेट के अनुसार, खरीद पर्यायन में प्रायोगिक तौर पर नजि क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, ताक इस दौरान मलिन वाली जानकारी के आधार पर खरीद पर्यायन में नजि क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जा सके।

नया बाजार ढाँचा स्थापित करने का प्रयास

- किसानों के लिये एक नया बाजार ढाँचा स्थापित करने के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं, ताक उनकी उपज का उचित या लाभकारी मूल्य दिलाया जा सके।
- इनमें ग्रामीण कृषि बाजारों की स्थापना करना भी शामिल है, ताक खेतों के काफी नजिक ही 22,000 खुदरा बाजारों को प्रोत्साहित किया जा सके।

सरकार की किसान अनुकूल अन्य पहलें :

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- परंपरागत कृषि विकास योजना
- मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण
- मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन वपिणन अधिनियम, 2017 और मॉडल अनुबंध खेती एवं सेवा अधिनियम, 2018।